FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर** मुकाम **अलवर** 15/2019

उनवान ग्यारसा राम बनाम श्रीमति लक्ष्मी देवी **वगैराह** 07/06/19

किस्म मुकदमा **मुन्तकिल प्रा0पत्र** नम्बर 15/ /2019 दायर दिनांक 07.06.2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2019	यह पत्रावली बाद रिपोर्ट सरिस्ता हमारे समक्ष पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली दिनांक 17.06.2019 को पेश हों।	642 अहकाम 07/06/19
	[signature]	643 सम्मन 07/06/19
	अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)	
	17/6/19 [stamp, partly illegible] ... अधिकारी ... पत्रावली वास्ते ... को पेश हो। 7/6/19 रीडर [signature]	रिपोर्ट प्राप्त/पत्र क्रमांक 3380 दिनांक 13/06/19
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी अलवर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी अलवर से न्याय की उम्मीद नहीं है अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार न्यायालय	

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

में स्थानान्तरण कर दी जावे।
वकील अप्रार्थी ने अपीलार्थी की अपील की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया कि अपीलार्थी ने जो अपील प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी अलवर के विरुद्ध राहत की मांग की है परन्तु अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी अलवर को पक्षकार ही नहीं बनाया ऐसी स्थिति न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध कोई राहत प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि C.P.C के प्रावधान के अनुसार प्रार्थी को जिस अप्रार्थी के विरुद्ध राहत प्राप्त करनी हो उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावलि का अवलोकन किया। पत्रावलि के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने मुन्तकिली मुकदमा अपील प्रार्थना पत्र में एक लगायत 7 अप्रार्थी बनाये गये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

(द्वितीय) अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
	और अपील प्रार्थना-पत्र में जो कथन किया है उनमें उपखण्ड अलवर न्यायालय के के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अंकित किया जाकर कथन किया है कि प्रार्थी को को उपखण्ड अधिकारी की खिलाफ समझौता जो कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय अलवर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। परन्तु अपीलार्थी ने पीठासीन अधिकारी की खिलाफ समझौता को बतौर पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अलवर के पदनाम नहीं बताया। दी अपील के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान अभिभाषक ने जो अपील प्रस्तुत की वह आधारहीन दी अपीलार्थी न्यायालय में स्वयं उपखण्ड से उपस्थित ... ने ऐसी स्थिति में	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

न्यायालय उक्त निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपील अपीलार्थी उसी स्तर पर खारीज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी उसी स्तर पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के काम हो उपरान्त बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/6/13 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)